बिहार सरकार,
गन्ना उद्योग विभाग

पत्रांक–02/रेगु०–03–900–16/2021– 417 स्वी०/ee   पटना, दिनांक– 29 मई, 2025

प्रेषक,

अनिल कुमार झा, भा०प्र०से०
ईखायुक्त, बिहार

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

विषय : **मेसर्स रीगा सुगर कम्पनी लि०, रीगा, सीतामढ़ी का पुनः परिचालन के निमित उस क्षेत्र के गन्ना कृषकों के पूर्ववर्ती पेराई सत्रों का बकाये ईख मूल्य मूलधन की कुल राशि मो० 51,30,91,296.00 (इकावन करोड़ तीस लाख इकानवे हजार दौ सौ छियानबे) रूपये मात्र निकासी, व्यय एवं भुगतान की स्वीकृति।**

द्वारा : आंतरिक वित्तीय सलाहकार, गन्ना उद्योग विभाग।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय संकल्प संख्या–45 दिनांक–12.01.2024 के क्रम में मेसर्स रीगा सुगर कम्पनी लि०, रीगा, सीतामढ़ी का पुनः परिचालन के निमित उस क्षेत्र के गन्ना कृषकों के पूर्ववर्ती पेराई सत्रों का बकाये ईख मूल्य मूलधन की कुल राशि मो० 51,30,91,296.00 (इकावन करोड़ तीस लाख इकानवे हजार दौ सौ छियानबे) रूपये का भुगतान की स्वीकृति दी जाती है।

2. उक्त राशि का भुगतान चीनी मिल के एक पेराई वर्ष के सफल परिचालन के उपरान्त अर्थात् 30 जून, 2025 के पश्चात गन्ना किसानों को किया जायेगा। गन्ना पेराई सत्र 1 जुलाई से प्रारम्भ होकर 30 जून तक रहता है। पेराई सत्र 2020–21 से मेसर्स रीगा सुगर कम्पनी लि०, रीगा, सीतामढ़ी का परिचालन बंद था। पेराई सत्र 2024–25 अन्तर्गत दिनांक–26.12.2024 से इस चीनी मिल का परिचालन पुनः आरम्भ हो चुका है।

3. राज्य सरकार द्वारा निर्गत उक्त संकल्प के आलोक में राशि का आवंटन जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी को किया जायेगा तथा जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा किसानों के बकाये ईख मूल्य का भुगतान किया जायेगा। विहित प्रक्रिया अन्तर्गत जाँचोपरान्त संबंधित कृषकों को बकाये ईख मूल्य देय राशि का भुगतान DBT/RTGS/Electronic Transfer के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खाते में अन्तरित किया जायेगा।

4. जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा ईख पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर, वरीय उप समाहर्त्ता, सीतामढ़ी एवं रीगा चीनी मिल के नामित प्रतिनिधि का एक टीम गठित कर इसे अधिसूचित किया जायेगा। उक्त समिति इस बात का सत्यापन करेगी कि किसान वास्तविक गन्ना आपूर्ति करने वाले गन्ना किसान है एवं बकाया का दावा सही है। समिति यह भी सत्यापित कर लेगी कि किसान जीवित है। दावेदार किसान की मृत्यु हो गयी है तो मृत्यु प्रमाण–पत्र एवं उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र के अनुसार बकाये राशि के भुगतान की कार्रवाई की जायेगी।

5. यदि किसान का पूर्व में चीनी मिल का खाता फ्रीज होगा तो ऐसे में किसान से बैंक खाता एवं विवरण प्राप्त कर उसमें राशि के भुगतान की अनुशंसा समिति कर सकेगी। समिति के अनुशंसा के अनुसार जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा किसानों को राशि अन्तरित किया जायेगा।

6. जिन गन्ना कृषकों की सूची विभाग को प्राप्त है वह पूर्ववर्ती चीनी मिल के संबंध में राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण (NCLT), कोलकाता बेन्च द्वारा नियुक्त रिजोल्यूशन प्रोफेशनल (Resolution Professional) द्वारा विभाग को दी गयी सूचना के अनुसार है। इस सूची को विभाग द्वारा जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी को अलग से भेजा जायेगा एवं दावेदारी के संबंध में दावे का सत्यापन इसी सूची के आधार पर किया जायेगा।

कृ०पृ०उ०

29/5/25

7. यह राशि वित्तीय वर्ष 2025–26 में मुख्य शीर्ष–2852–उद्योग, उपमुख्य शीर्ष–08–उपभोक्ता उद्योग, समूहशीर्ष–राज्य योजना, लघुशीर्ष–201–चीनी, उपशीर्ष–0103, विषयशीर्ष–3301–सब्सिडी, विपत्र कोड–45–2852082010103 अंतर्गत वर्तमान में कुल उपबंधित राशि मो० 78,97,85,000.00 (अठहत्तर करोड़ सनतानवे लाख पचासी हजार) रू० में से विकलनीय होगा।

8. जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी ही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा कोषागार, सीतामढ़ी से राशि की निकासी कर शीघ्र भुगतान सुनिश्चित की जायेगी।

9. भुगतान के पश्चात् भुगतान किये गये राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र यथाशीघ्र समर्पित किया जाएगा।

10. उक्त विषयक प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् का दिनांक–22.12.2023 को संचिका संख्या–02/रेगु०–03–900–16/2021 के पृष्ठ–80/टि० पर स्वीकृति प्राप्त है। यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक–12888 दिनांक–03.12.2024 के आलोक में स्वीकृत की जा रही है।

11. उक्त राज्यादेश के प्रस्ताव/प्रारूप पर संचिका सं०–02/रेगु०–03–900–16/2021 के पृष्ठ संख्या–96/टि० पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार, गन्ना उद्योग विभाग की सहमति प्राप्त है।

12. उक्त योजना के प्रस्ताव पर संचिका सं०–02/रेगु०–03–900–16/2021 के पृष्ठ संख्या–98/टि० पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

13. वित्त विभाग के पत्रांक–2561 (वि०) 2 दिनांक–17.04.1998 के आलोक में की जायेगी तथा प्रपत्र में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

14. वित्त विभागीय पत्रांक–7355/वि० (2) दिनांक–05.10.2007 के आलोक में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

15. इस राशि का आवंटन आदेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

विश्वासभाजन

29/5/25

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या–02/रेगु०–03–900–16/2021– 117 स्वी०/ee पटना, दिनांक– 29 मई, 2025

प्रतिलिपि–जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी/कोषागार पदाधिकारी, सीतामढ़ी/ईख पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/महाप्रबंधक, मेसर्स रीगा सुगर कम्पनी लि०, रीगा, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/5/25

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या–02/रेगु०–03–900–16/2021– 117 स्वी०/ee पटना, दिनांक– 29 मई, 2025

प्रतिलिपि– वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार/उप सचिव, गन्ना उद्योग विभाग/संयुक्त निदेशक, ईख विकास/संयुक्त ईखायुक्त, बिहार, पटना/सहायक ईखायुक्त, मुख्यालय/सहायक ईखायुक्त, उ० बिहार, मुजफ्फरपुर/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग/विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार/रेगुलेटरी शाखा/बजट शाखा/लेखा शाखा, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ सभी विशेष ईख पदाधिकारी एवं ईख पदाधिकारी/सचिव, बिहार सुगर मिल्स एसोसियेशन (BSMA), पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई० टी० प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

29/5/25

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या–02/रेगु०–03–900–16/2021– 117 स्वी०/ee पटना, दिनांक– 29 मई, 2025

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग के आप्त सचिव/सचिव, गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

29/5/25

ईखायुक्त, बिहार।